कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–17.06.2020

कोविड–19 के संक्रामक विश्वव्यापी महामारी के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के सामान्य कामकाज बंद होने की स्थिति में केवल एक अपर सत्र न्यायालय/सत्र न्यायालय तथा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये ड्यूटी लगाई गई है।

कुछ समय में अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों में यह समस्या बताई कि न्यायालय कक्ष में पक्षकारों और अधिवक्ताओं को संक्रामक बीमारी से रोकथाम और बचाव के लिये व्यक्तिगत उपस्थिति से निषेधित किया गया है और अधिवक्ताओं के जमानत आवेदन पत्र पीडीएफ फाईल में दिये जा रहे हैं तथा उनकी सुनवाई भी मोबाइल एप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही है। लेकिन यह देखने में आता है कि रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बाहर खिड़कियों में लोग भीड़ लगाये रहते हैं और अनावश्यक विघ्न उत्पन्न करते हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिसकर्मियो को डायरी पेश करनी होती है, जो बहुत अधिक पृष्ठों में होने के कारण पीडीएफ फाईल में पेश नहीं हो पा रही है, इसलिये व्यक्तिगत रूप से पेश करनी पड़ती है, जिसका उपयोग वे खिड़की से करते है तथा जमानत आदेश होने पर जमानत प्रपत्र भी पेश किये जाते हैं। इन स्थितियों से बचने के लिये न्यायालय बिल्डिंग के मुख्य चैनल गेट पर जो कांच का कक्ष बना है, उसमें दो सहायक वर्ग–3 रीडर और दो चपरासी या मुंशी उपस्थित रहेंगें, जिनमें से एक लिपिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की डायरी और जमानत प्रपत्र प्राप्त करेगा और दूसरा सत्र न्यायालय की डायरी और यदि आवश्यक हो तो जमानत प्रपत्र प्राप्त करेगा और वही वापस करेगा।

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जो भी मुंशी या अधिवक्ता डायरी या जमानत प्रपत्र देंगे, उस पर वे अपना स्वच्छ और पठनीय अक्षरों में मोबाइल नंबर देंगे, ताकि लिपिक को डायरी या पावती वापस करते समय फोन कर उन्हे कांच वाले कक्ष के पास बुलाया जा सके।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कोई भी लिपिक सुपुर्दगी आवेदन पत्र या जमानत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं करेगा। सभी सुपुर्दगी और जमानत आवेदन पत्र इलेक्ट्रानिक माध्यम से पीडीएफ फाईल में ही प्राप्त किये जावेंगे एवं रिमाण्ड कोर्ट की जो खिड़कियां बाहर की ओर खुलती है, वे बंद रहेगी। अधिवक्ताओं के लिये सर्विस बिल्डिंग खोल दी गई है एवं पक्षकारों के बैठने के लिये सर्विस बिल्डिंग से न्यायालय में आने के लिये जो गलियारा है, वहां पर बैंचेस लगाई जायेगी।

Scanned with CamScanner

यदि मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड देते समय अभियुक्त को देखना है तो वह वी.सी. से या जो मुंशी उसे लेकर आया है, उसके मोबाइल एप से वीडियो या वाट्सएप कालिंग के माध्यम से देख सकेंगे या संतुष्ट हो सकेंगे।

जिला रजिस्ट्रार, कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला नाजिर इस संबंध में व्यवस्था बनाये रखेंगे।

नियमों का कड़ाई से पालन किया जावे।

17/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 कमांक–क्यू–1/2020

उज्जैन, दिनांक–17.06.2020

प्रतिलिपि–

1 समस्त न्यायाधीशगण, न्यायालय, उज्जैन
2 जिला रजिस्ट्रार, न्यायालय, उज्जैन
3 पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन
4 समस्त कर्मचारीगण, न्यायालय, उज्जैन
5 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन
6 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
7 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
8 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
9 जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with CamScanner